

विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

कार्यस्थलों के वर्गीकरण हेतु मानकों का निर्धारण 2020-21

विद्यालय/संस्था का नाम :-संकुल केन्द्र का नाम.....

विकास खण्ड का नाम जनपद का नाम

विद्यालय की वर्तमान स्थिति: संचलति/बन्द /उच्चीकृत (स्थिति के अनुसार (√) लगाये)

निम्नवत् विवरण प्र0अ0/संस्थाध्यक्ष/समूह द्वारा संस्था के मानकों के आधार पर भरा जायेगा :-

क्र.सं.	वर्गीकरण के मानक	चयनित क्रम संख्या	गुणांक
1	कार्यस्थल की पैदल दूरी		
2	सड़क मार्ग की सुविधायें		
3	चिकित्सा सुविधायें		
4	बैंक, पोस्ट ऑफिस की सुविधायें		
5	बच्चों के लिए शिक्षण संस्थायें		
6	कॉमर्शियल सेन्टर/बाजार की सुविधायें		
7	सामान्य जन सुविधायें (विजली, पानी, आवास)		
8	समुद्र तल से ऊँचाई		
9	रेलवे स्टेशन से कार्यस्थल की दूरी		
		कुल गुणांक	

विद्यालयी शिक्षा विभाग के दुर्गम/सुगम क्षेत्रों के संबंध में प्रस्तावित मानक

क्रमांक	मानक 01 कार्यस्थल की पैदल दूरी	गुणांक
1	मैदानी क्षेत्रों के नगर निगम, नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत स्थित कार्यस्थल	10
2	क्रमांक 1 को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 0 से 01 किमी तक पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	9
3	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 01 से 02 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल अथवा पर्वतीय क्षेत्रों की नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कार्यस्थल	8
4	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 02 किमी से 03 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत (नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त) मोटर मार्ग से 0 से 01 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	7
5	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 03 किमी से 04 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 01 से 02 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	6
6	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 04 किमी से 05 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 02 से 03 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	5
7	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 05 किमी से 07 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 03 से 04 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	4
8	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 07 किमी से 09 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 04 से 06 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	3
9	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 09 किमी से 12 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 06 से 08 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	2
10	पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 08 से 10 किमी के अन्दर पैदल मार्ग पर स्थित कार्यस्थल	1
11	मैदानी क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 12 किमी से अधिक या पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत मोटर मार्ग से 10 किमी से अधिक दूरी पर स्थित कार्यस्थल	0
मानक 02 सड़क मार्ग की सुविधायें		
1	मैदानी क्षेत्रों के नगर निगम/ नगरपालिका के अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्यस्थल	10
2	750 मीटर उचाई तक के राष्ट्रीय राज मार्ग से 0: किमी दूरी की परिधि के कार्यस्थल	9
3	क्रमांक 01 व 02 के अतिरिक्त 950 मीटर उचाई तक के राष्ट्रीय राज मार्ग पर 0 से 02 किमी दूरी की परिधि पर स्थित कार्यस्थल अथवा पर्वतीय क्षेत्रों की समस्त नगरपालिका/ नगर पंचायत/ केन्ट बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले कार्यस्थल	8
4	क्रमांक 01 से 03 के अतिरिक्त 1200 मीटर की उचाई तक के राष्ट्रीय राज मार्ग पर 0 से 03 किमी की परिधि में स्थित कार्यस्थल/ मैदानी क्षेत्रों के समस्त राज्य राजमार्ग पर 00 से 03 किमी की परिधि में स्थित कार्यस्थल	7

(Signature)

5	1200 मीटर से अधिक उचाई के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 0 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल/ 1500 मीटर उचाई तक के (पर्वतीय क्षेत्र) राज्य राजमार्ग से 0 से 03 किमी की परिधि में स्थित कार्यस्थल/ मैदानी क्षेत्रों में समस्त डामरीकृत मोटरमार्ग पर 0 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल	6
6	उपरोक्त क्रमांक 01 से 05 के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों के समस्त डामरीकृत मोटर मार्ग से 0 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल अथवा मैदानी क्षेत्रों में कच्चे मोटर मार्ग से 00 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल	5
7	पर्वतीय क्षेत्रों में कच्चे मोटर मार्ग के पश्चात 10 किमी दूरी तक कच्चे मोटर मार्ग पर 00 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल	4
8	पर्वतीय क्षेत्रों में कच्चे मोटर मार्ग के पश्चात 10 किमी से 20 किमी दूरी तक कच्चे मोटर मार्ग पर 00 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल	3
9	पर्वतीय क्षेत्रों में कच्चे मोटर मार्ग के पश्चात 20 किमी से 30 किमी दूरी तक कच्चे मोटर मार्ग पर 00 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल	2
10	पर्वतीय क्षेत्रों में कच्चे मोटर मार्ग के पश्चात 30 किमी दूरी से अधिक कच्चे मोटर मार्ग पर 00 से 03 किमी दूरी की परिधि में स्थित कार्यस्थल	1
11	निकटस्थ डामरीकृत / कच्चे मोटर मार्ग से 03 किमी की परिधि से अधिक दूरी पर स्थित कार्यस्थल	0

मानक 03 चिकित्सा सुविधायें

1	देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, हल्द्वानी, कशौपुर अथवा मेडिकल कालेजों से 20 किमी तक की परिधि में स्थित कार्यस्थल	6
2	क्रमांक 1 को छोड़कर ऐसे कार्यस्थल जहां चिकित्सा सुविधा सी0एम0ओ0/ सी0एम0एस0 के नियंत्रणाधीन हो (हॉस्पिटल से 10 किमी के अन्दर के कार्यस्थल)	5
3	क्रमांक 01 व 02 को छोड़कर 10 किमी की परिधि में ऐसे कार्यस्थल जहां न्यूनतम 03 चिकित्सा केन्द्र (सरकारी/ गैरसरकारी) अथवा 20 बिड तक की चिकित्सालय सुविधा हो	4
4	क्रमांक 01, 02 व 03 को छोड़कर 15 किमी की सीमा के अन्तर्गत ऐसे कार्यस्थल जहां कम से कम 02 सरकारी / प्राइवेट चिकित्सक की सुविधा हो	3
5	15 किमी से 25 किमी की सीमा के अन्तर्गत ऐसे कार्यस्थल जहां कम से कम 2 सरकारी/प्राइवेट चिकित्सक की सुविधा हो	2
6	30 किमी की सीमा के अन्तर्गत ऐसे कार्यस्थल जहां कम से कम 01 सरकारी/प्राइवेट चिकित्सक की सुविधा हो	1
7	30 किमी की सीमा से अधिक की दूरी पर स्थित कार्यस्थल जहां कम से कम 1 सरकारी/प्राइवेट चिकित्सक की सुविधा हो या न हो	0

मानक 04 बैंक, पोस्ट ऑफिस की सुविधायें

1	समस्त नगर निगम, नगर पालिका, जिला मुख्यालय, नगर पंचायत तथा केन्ट बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले कार्यस्थल	5
2	समस्त तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय के अन्तर्गत अथवा मुख्य कस्बे जिनकी आबादी न्यूनतम 30 हजार हो के अन्तर्गत आने वाले कार्यस्थल	4
3	कार्यस्थल से 05 किमी के अन्दर 3 बैंक एवं कम से कम 01 पोस्ट ऑफिस की सुविधा	3
4	कार्यस्थल से 10 किमी के अन्दर 2 बैंक एवं कम से कम 01 पोस्ट ऑफिस की सुविधा	2

Slu

5	कार्यस्थल से 20 किमी के अन्दर 1 बैंक एवं कम से कम एक पोस्ट ऑफिस की सुविधा	1
6	कार्यस्थल से 20 किमी से अधिक की दूरी पर बैंक की सुविधा	0
मानक 05 बच्चों के लिए शिक्षण संस्थायें		
1	ऐसे कार्यस्थल जहां 15 किमी की परिधि में परास्नातक तक उच्च शिक्षा एवं सरकारी / प्राइवेट स्तर की तकनीकी शिक्षा (बी0टेक0/ पाठ लेटेकिनक) की सुविधा उपलब्ध हो	5
2	क्रमांक 01 के अतिरिक्त कार्यस्थल से 15 किमी की परिधि के अन्तर्गत स्नातक शिक्षा की सुविधायें अथवा 05 किमी की परिधि में माध्यमिक स्तर के 04 शासकीय/ मान्यता प्राप्त विद्यालय	4
3	कार्यस्थल से 15 किमी से 20 किमी की परिधि के अन्तर्गत स्नातक शिक्षा की सुविधायें अथवा 07 किमी तक 03 शासकीय /मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय	3
4	कार्यस्थल से 25 किमी की परिधि के अन्तर्गत स्नातक शिक्षा की सुविधायें अथवा 10 किमी तक 02 शासकीय /मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय	2
5	कार्यस्थल से 30 किमी की परिधि के अन्तर्गत स्नातक शिक्षा की सुविधायें अथवा 10 किमी तक 01 शासकीय /मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय	1
6	उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे कार्य स्थल जहां स्नातक शिक्षा की सुविधायें 30 किमी से अधिक अथवा शासकीय/मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 10 किमी से अधिक दूरी पर स्थित हो	0
मानक 06 कॉमर्शियल सेन्टर/ बाजार की सुविधायें		
1	नगर निगम में स्थित कार्यस्थल	8
2	समस्त नगर पालिकाओं में स्थित कार्यस्थल	7
3	क्रमांक 1 व 2 के अतिरिक्त समस्त टाउन एरिया, केन्ट बोर्ड, नगरपंचायत अथवा 20 हजार जनसंख्या वाले कार्यस्थल	6
4	क्रमांक 1 या 2 से 20 किमी अथवा क्रमांक 3 से 10 किमी के अन्तर्गत के कार्यस्थल अथवा 15 हजार जनसंख्या वाले कार्यस्थल	5
5	क्रम संख्या 1 या 2 से 30 किमी अथवा क्रमांक 3 से 20 किमी के अन्दर के कार्यस्थल अथवा 10 हजार जनसंख्या वाले कार्यस्थल	4
6	क्रमांक 1 अथवा 2 से 40 किमी अथवा क्रम संख्या 3 से 30 किमी के अन्दर के कार्यस्थल अथवा 05 हजार जनसंख्या वाले कार्यस्थल	3
7	क्रमांक 1 या 2 से 50 किमी अथवा क्रमांक 3 से 40 किमी के अन्तर्गत के कार्य स्थल अथवा 03 हजार जनसंख्या वाले कार्यस्थल	2
8	कार्यस्थल जो ऐसे बाजार से कम से कम 02 किमी की दूरी पर हों जहां कम से कम 05 दुकानें हों अथवा रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध हों	1
9	उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे कार्यस्थल, जहां 02 किमी से अधिक दूरी पर दुकान की सुविधाएं उपलब्ध हों	0
मानक 07 सामान्य जन सुविधायें (विजली, पानी, आवास)		
1	नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले कार्यस्थल	6
2	समस्त नगरपालिकाएं /केन्ट बोर्ड/ टाउन एरिया/नगर पंचायत अथवा 01 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र के कार्यस्थल	5
3	कार्यस्थल से 01 किमी के अन्दर विजली, पानी तथा हृद्योचालय की सुविधा सहित रहने हेतु सरकारी/गैरसरकारी आवास की उपलब्धता	4

Handwritten signature

4	कार्यस्थल से 02 किमी की परिधि में रहने हेतु सरकारी / गैरसरकारी पक्का भवन तथा विद्युत एवं पेयजल की सुविधा	3
5	क्रमांक 01 से 04 को छोड़कर ऐसे कार्यस्थल जिनमें 02 किमी के अन्दर पक्का भवन एवं विद्युत की सुविधा हो अथवा विद्यालय में दो अध्यापकों के लिए आवास की सुविधा हो	2
6	ऐसे कार्यस्थल जहां 03 किमी की परिधि में रहने हेतु पक्का भवन एवं विद्युत की सुविधा सहित आवास की उपलब्धता हो (प्राइवेट/सरकारी)	1

मानक 08 समुद्र तल से ऊंचाई		
1	610 मीटर की उंचाई तक के कार्यस्थल (2001 फिट तक)	12
2	610 से 915 मीटर की उंचाई तक के कार्यस्थल (2001-3002 फिट)	10
3	915 से 1220 मीटर की उंचाई तक के कार्यस्थल (3002-4003 फिट)	8
4	1220 से 1525 मीटर की उंचाई तक के कार्यस्थल (4003-5004 फिट)	6
5	1525 से 1830 मीटर की उंचाई तक के कार्यस्थल (5004-6004 फिट)	4
6	1830 से 2133-6 मीटर की उंचाई तक के कार्यस्थल (6004-7000 फिट)	2
7	2133-6 मीटर से अधिक उंचाई तक के कार्यस्थल (7000 फिट से अधिक)	0

मानक 09 रेलवे स्टेशन से कार्यस्थल की दूरी		
(B श्रेणी के रेलवे स्टेशन देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रपुर, रुड़की, काशीपुर C श्रेणी के रेलवे स्टेशन कोटद्वार, रामनगर, श्यटीना, काठगोदाम, टनकपुर, लक्सर)		
1	B-श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 15 किमी की दूरी अथवा C-श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 5 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	9
2	B-श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 16 किमी से 25 किमी की दूरी अथवा C-श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 6 किमी से 20 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	8
3	B-श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 26 किमी से 50 किमी की दूरी अथवा C-श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 21 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	7
4	B-श्रेणी अथवा C-श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 51 किमी से 80 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	6
5	B-श्रेणी अथवा C-श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 81 किमी से 110 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	5
6	B-श्रेणी अथवा C-श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 111 किमी से 140 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	4
7	B-श्रेणी अथवा C-श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 141 किमी से 180 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	3
8	B-श्रेणी अथवा C-श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 181 किमी से 200 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	2
9	B-श्रेणी अथवा C-श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 221 किमी से 280 किमी की दूरी तक के कार्यस्थल	1
10	B-श्रेणी अथवा C-श्रेणी के रेलवे स्टेशन से 290 किमी से अधिक की दूरी तक के कार्यस्थल	0

ऐसे कार्यस्थल जो 7000 फिट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, उनकी पृथक से सूची तैयार कर ली जाय।

(Handwritten signature)